

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 11.04.2023 को मैसर्स एच. एम्. स्टीलस लिमिटेड, प्लाट नंबर-8, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2, काला-अम्ब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पर पहले से स्थापित इस्पात संयंत्र (3.18 हेक्टेयर) में, 4x8 MT/Heat इंडवशन फर्नेस का 4x15 MT/ Heat क्षमता के साथ प्रतिस्थापन द्वारा विस्तार और संशोधन जोकि बिलेट्स की उत्पादन क्षमता 48,000 MT प्रतिवर्ष से 3,00,000MT प्रतिवर्ष और रोल्ड उत्पाद 36,000 MT प्रतिवर्ष से 2,50,000 MT प्रतिवर्ष तक होगी, हेतु प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 11.04.2023 मैसर्स एच. एम्. स्टीलस लिमिटेड, प्लाट नंबर-8, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2, काला-अम्ब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.) भूमि पर पहले से स्थापित इस्पात संयंत्र (3.18 हेक्टेयर) में, 4x8 MT/Heat इंडवशन फर्नेस का 4x15 MT/ Heat क्षमता के साथ प्रतिस्थापन द्वारा विस्तार और संशोधन प्रस्ताव पर जन सुनवाई कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2, समीप दमकल चेंद्र गांव जोहड़ों काला-अम्ब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित विस्तार और संशोधन प्रस्ताव, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त-उपायुक्त सिरमौर, श्री मनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न-1 में उपलब्ध है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब, सिरमौर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लि0, जीरकपुर, पंजाब के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

1.0 परियोजना विवरण

मैसर्स एच.एम्. स्टील लिमिटेड क्षेत्रफल 3.18 हेक्टेयर है, प्लाट नंबर 8, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2, काला-अम्ब, जिला सिरमौर, (हि. प्र.), में स्थित है वर्तमान में यह रोलिंग मिल जी.आई/ इआरडब्लू पाइप्स बनाती है। मैसर्स एच. एम्. इस्पात लिमिटेड, एक मौजूदा समग्र रोलिंग मिल्स इकाई है जिसकी 4x8 MT/ heat इंडवशन भट्टियों को 4x15 MT heat इंडवशन भट्टियों के साथ बदलने की योजना बना रही है। औद्योगिक इकाई में निरंतर कास्टिंग मशीन (CCM) और रोलिंग मिल क्षमता को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विस्तार से इकाई में बिलेट्स की उत्पादन क्षमता 48,000 MT/Annum से 3,00,000 MT/Annum रोल्ड उत्पाद में 36000 MT/Annum से 2,50,000 MT/Annum तक की वृद्धि जी. आई पाइप्स के निर्माण के लिए की जाएगी। इसके लिए कच्चे माल की वृद्धि 176 MT Day से 1100 MT Day हो जाएगी और शेष बिलेट्स को बाजार में बेचा जाएगा।

EIA अधिसूचना 14 सितंबर 2006 तथा इसके संशोधन 1 दिसंबर 2009 के अनुसार धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग परियोजना 3(a) के रूप में सूचीबद्ध है व हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमा से परियोजना 1.2 किलोमीटर की दूरी होने के कारण इसे "सामान्यस्थिति के तहत, श्रेणी ए में वर्गीकृत किया गया है।

निर्माण और घरेलू प्रयोजन के लिए पानी की पूर्ण उद्योग व व्यवसायिक (डी.आई.सी) विभाग द्वारा की जाएगी। लगभग 34 KLD पानी परिचालन चरण के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन फेज के दौरान प्लांट और मशीनरी को चलाने के लिए कुल 21500 किलोवाट के पावर लोड का उपयोग किया जाएगा। विद्युत स्रोत: हिमाचल प्रदेश का राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) है कुल क्षेत्रफल 3.18 हेक्टेयर है।

1.1 परियोजना के आकार

प्रस्तावित उत्पादों	जी. आई/ इआरडब्लू पाइप्स
प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	4x8 MT/Heat इंडवशन भट्टियों को 4x15 MT/heat इंडवशन भट्टियों के साथ बदलना व बिलेट्स की उत्पादन क्षमता 48,000 MT प्रतिवर्ष से 3,00,000 MT प्रतिवर्ष और रोल्ड उत्पाद 36,000 MT प्रतिवर्ष से 2,50,000 MT प्रतिवर्ष तक की योजना है।

कुल प्लॉट क्षेत्र	3.18 Ha
पावर आवश्यकता	मौजूदा बिजली लोड 14800 किलोवाट (स्रोत: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) विस्तार के लिए आवश्यक बिजली लोड 6700 किलोवाट (अनुदान के लिए प्रक्रिया के तहत) है। कुल बिजली लोड 21500 किलोवाट है।
पानी की आवश्यकता	निर्माण और घरेलू उपयोग के लिए पानी उद्योग विभाग और वाणिज्य (डीआईसी) से लिया जाएगा लगभग 325 KLD पानी ऑपरेशन चरण के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा।
परियोजना की लागत	इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5500.00 लाख रुपए है।

2.0 स्थान

मैसर्स एच.एम इस्पात, एक मौजूदा समग्र रोलिंग मिल्स इकाई है जो की प्लाट नंबर 8, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2, काला अम्ब, तहसील नाहन व सिरमौर (हिमाचल प्रदेश), में स्थित है।

स्थान के विवरण नीचे वर्णित हैं:

अक्षांश: 30°31'9.124"N-30°31'14.030"N

देशांतर: 77°12'3.717"E-77 12 16.728"E

निकटतम रेलवे स्टेशन अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन 47.2 कि.मी. दूर है। निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डे 63.3 कि.मी. दूर है।

3.0 मौसम विज्ञान

3.1 जलवायु और वर्षा

जिले की जलवायु ऊंचाई के आधार पर समशीतोष्ण है। चार प्रमुख मौसम जैसे नवंबर से फरवरी तक सर्दियां होती हैं। मार्च से जून तक गर्मी का मौसम जुलाई से सितंबर के अंत तक मानसून की अवधि होती है अधिकतम वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान होती है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा 1405 mm है, जिसमें से 90% मानसून के मौसम में होती है। गैर मानसून सीजन में बर्फबारी के रूप में वर्षा 1500 मीटर amsl ऊंचाई वाले इलाकों में होती है। सर्दियों अवधि के दौरान निचली पहाड़ियों और घाटियों के हिस्सों में भी होती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से -0 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है।

4.0 वायु गुणवत्ता की निगरानी

अध्ययन क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है वाहन उत्सर्जन, आसपास की औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जन, डी जी सेट से फुजिटिव उत्सर्जन, घरेलू आवश्यकताओं के लिए ईंधन जलाने और हवा में उड़ने वाली धूला निम्नलिखित मापदंडों को हवा की गुणवत्ता आकलन करने के लिए ध्यान में रखा गया था।

- पार्टिकुलेट मैटर (PM 10)
- पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5)
- सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)
- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)
- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
- सभी स्थानों के लिए किये गए अध्ययन में PM10 न्यूनतम और अधिकतम सांद्रता अवधि 50.20 µg/m³ से 86.30 µg/m³ की सीमा में पाया गया है।
- सभी स्थानों के लिए किये गए अध्ययन में PM2.5 न्यूनतम और अधिकतम सांद्रता अवधि 18.07 से 44.9 µg/m³ की सीमा में पाया गया है।
- सभी स्थानों के लिए किये गए अध्ययन में NO2 न्यूनतम और अधिकतम सांद्रता अवधि 9.62 से 20.55 µg/m³ की सीमा में पाया गया है।
- सभी स्थानों के लिए किये गए अध्ययन में SO2 न्यूनतम और अधिकतम सांद्रता अवधि 5.37 से 18.56 µg/m³ की सीमा में पाया गया है।

प्रस्तावित परियोजना से आसपास के क्षेत्र के वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। वायु प्रदूषण से पड़ने वाले प्रभाव व उनके उपाय पर चर्चा EIA रिपोर्ट के अध्याय नंबर ४ में की गई है।

5.0 शोर गुणवत्ता

अध्ययन क्षेत्र में पृष्ठभूमि के शोर के स्तर का आकलन करने के लिए परिवेश शोर की निगरानी की गई। अध्ययन क्षेत्र के भीतर कुल आठ स्थानों की परिवेश शोर के स्तर की माप के लिए चयन किया गया था। शोर की निगरानी के लिए 24-घंटे के आधार पर शोर की निगरानी की गई।

आवासीय क्षेत्रों में परिवेश के शोर के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए और साथ ही परियोजना गतिविधियों के कारण संभावित प्रभाव के लिए विभिन्न स्थानों पर शोर स्तर का आकलन किया गया था। दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 के दौरान शोरस्तर के मान, जो दिन के समय 46.6- 72.5 db (A) और रात के समय 35.8-68.6 db (A) के बीच दर्ज किए गए हैं। इसका कारण इस परियोजना स्थल के पास मशीनरी और वाहनों की आवाजाही होना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

6.0 जल गुणवत्ता

अध्ययन क्षेत्र में पानी के नमूने भूजल और सतह के पानी से एकत्र किए गए थे। सतह और भूजल निकायों सहित विभिन्न स्थानों से कुल चौदह नमूने लिए गए। नमूनों का विश्लेषण भौतिक रासायनिक मापदंडों के लिए किया गया था। पानी का विश्लेषण (APHA) के मानक तरीकों के अनुसार किया गया है। जल विश्लेषण के परिणामों की तुलना आईएस 10500-2012 पीने के पानी के साथ की गई है जिसका उद्देश्य पीने के पानी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए है।

सभी नमूनों का पीएच वांछनीय सीमा के भीतर निहित है और 7.18-7.8 के बीच पाई गई है। नमूनों में कठोरता 154- 186 mg/l रेंज में पाया गया है। नमूनों से क्लोराइड की मात्रा 14.5 से 19 mg/l वांछनीय सीमा के तहत है। पानी के नमूनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम 56.2-62.1 mg/l और 1.14-10.8 mg/l की रेंज में पाया गया है। टोटल डि-सॉल्वड सॉलिड्स के नमूनों में 295 से 400 mg/l, जो वांछनीय सीमा के अंतर्गत है। सभी नमूनों की फ्लोराइड मात्रा 0.24- 0.34 mg/l की रेंज में निहित है। नमूनों में नाइट्रेट 2.86-3.1 mg/l पानी में सल्फेट के नमूनों की मात्रा 23.5-28.1 mg/l वांछनीय सीमा के भीतर पाई गई है।

सतह के पानी का विश्लेषण

- पानी के नमूनों का पीएच वांछनीय सीमा के भीतर और 7.18-7.894 के बीच पाया गया है और क्षारीय है।
- पानी के नमूनों की रासायनिक ऑक्सीजन मांग 10.2 mg/l से 72 mg/l; BOD 3.58 mg/l से 16.00 mg/l के बीच पाई गई है।
- पानी के नमूनों में TSS 6.8 से 21 mg/l तक पाई गई है।
- पानी में कठोरता का परिणाम 115 से 240 mg/l के बीच पाई गई है।
- सभी नमूनों में क्लोराइड 16.8 से 68.2 mg/l की सीमा में पाई गई है।
- कैल्शियम 35.8 से 78.1 mg/l और मैग्नीशियम 3.17mg/l से 22.14 mg/l के बीच पाया गया है।

7.0 मृदा गुणवत्ता

अध्ययन अवधि के दौरान प्रत्येक स्थान से एक एक मिट्टी के नमूने और सैम्पलर तकनीक के द्वारा एकत्र किए गए थे। मिट्टी के नमूने पॉलिथीन बैग में भरकर नंबर और साइट के नाम के साथ लेबल किए गए तथा मिट्टी का नमूनाकरण और विश्लेषण मिट्टी एम् एल जैक्सन द्वारा लिखित रासायनिक विश्लेषण पुस्तिका ISO/ IS 2720 के अनुसार किया गया था।

मृदा विश्लेषण और क्षेत्र अवलोकन, क्षमता वर्गीकरण (USDA) के अनुसार भूमि को तृतीय श्रेणी की भूमि के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी मामानी मामूली ढलानों और स्तत कृषि के लिए भूमि कुछ हद तक अच्छी है।

8.0 पारिस्थिति की गुणवत्ता

परियोजना स्थल से 10 किमी की दूरी के भीतर कोई भी लुप्तप्राय सूची के पौधा जानवर या पक्षी की प्रजाति नहीं पाई गई है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे बायोस्फीयर रिज़र्व, टाइगर रिज़र्व, हाथी रिज़र्व, जंगली हाथी के प्रवासी गलियारे, वेटलैंड, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण आदि परियोजना स्थल से 10 किमी की दूरी के भीतर नहीं हैं।

9.0 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव व उनके शमन उपाय

9.1 वायु गुणवत्ता

निर्माण चरण के दौरान कच्ची सड़क भण्डार व सामग्री हैंडलिंग से धूल (कण पदार्थ) उत्सर्जित होने की उम्मीद है। इस स्थिति में, प्रदूषण उत्सर्जन स्रोत परियोजना स्थल पर वितरित किए जाएंगे और क्षेत्र स्रोत की श्रेणी में आ जाएंगे। भूमि पहले से ही औद्योगिक काम के लिए विकसित की गई है, इसलिए व्यापक साइट निर्माण कार्य की आवश्यक नहीं है। वाहन से उत्सर्जित होने वाले SO₂, NO₂, CO का वायु प्रदूषण पर प्रभाव होगा, unpaved सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी धूल उत्सर्जन पर जोर देगा। डीजी सेट के ऑपरेशन से भी SO₂, NO₂, CO प्रकार का वायु प्रदूषण उत्पन्न होगा। फुजिटिव उत्सर्जन जैसे की धूल की परिकल्पना केवल निर्माण चरण में ही की गई है, निर्माण के चरण में ही धूल के रूप में ऐसी परिकल्पना की गई है।

कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद को तिरपाल द्वारा ढक के बंडलों के रूप में लाया जाएगा। उत्सर्जन की संभावना कम होगी। स्क्रेप की स्क्रिनिंग, डीजी सेट और वाहन की आवाजाही जैसी गतिविधियों से पार्टिकुलेट और फुजिटिव उत्सर्जन उत्पन्न हो सकता है।

ऑपरेशन चरण के दौरान, वायु प्रदूषण के स्रोतों की चार प्रमुख श्रेणियां हैं, वे इस प्रकार हैं।

- निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न हुई उत्सर्जन
- सामग्री हैंडलिंग से उत्पन्न हुई फुजिटिव उत्सर्जन
- वाहनों की आवाजाही से उत्पन्न हुई (NO_x, CO और PM) उत्सर्जन
- डीजल जनरेटर सेट से उत्पन्न हुई (NO_x, CO और PM) उत्सर्जन

उपचार प्रक्रिया

खराब परिचालन स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूनिट को बनाया गया है। निम्नलिखित उपकरणों को उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

सवशन हुड

भट्टी से उत्पन्न होने वाली पल्यू गैस के कुशल सवशन के लिए पर्याप्त क्षमता का मूवेबल सवशन हुड लगाया गया है।

स्पाक ओस्टर

- प्राथमिक स्पाक अरेस्टर: इसका उद्देश्य बड़े आकार के धूलकणों/ स्पावर्स को हटाना है।
- द्वितीय स्पाक अरेस्टर: Involute Cyclone का उपयोग पल्यू गैस स्ट्रीम में से मध्यम आकार के कणों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य भी धूल कणों/ स्पावर्स को हटाना है जो प्राथमिक स्पाक अरेस्टर से नहीं निकल पाए। उपचारित पल्यू गैस ऊपरी हिस्से से निकल जाती है और निचले हिस्से में धूल जमा होती है।

बैग घर

यूनिट में एक बैग घर (house) लगाया गया है। बैग House महीन कणों और गैसों को हटाकर ब्लोअर के माध्यम से चिमनी से निकाल देता है।

Ducting

Ducting प्रणाली न सिर्फ आवागमन की गेसों को गति प्राप्त करती है बल्कि तापमान को भी प्राकृतिक वायु द्वारा कम करती है।

आई डी फैन (ID Fan)

गेसो के कुशल सवशन के लिए आई डी फैन प्रणाली लगाई गई है।

एयर स्टैंक

चिमनी की एक पर्याप्त उचाई के माध्यम से उपचारित गेसो को वायु मंडल में छोड़ा जाता है।

9.2 शोर गुणवत्ता

आपरेशन फेज के दौरान कन्वेयर घूर्णन मशीनों जैसी मशीनरी, DG सेट से शोर और कंपन उत्पन्न होगा। कंपन जनरेटर से उत्पन्न होने वाले कंपन का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा, हालांकि शोर और कंपन को कम करने के लिए जनरेटर के इर्द गिर्द अवशोषित दीवार का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। वाहनों की आवाजाही भी शोर में योगदान। हालांकि उत्पन्न शोर महत्वहीन होगा। मशीनरी और डीजी सेट केवल दिन के समय में संचालित किए जाएंगे। भारी मशीनरी और DG सेट दिन के समय के दौरान ही संचालित किये जाएंगे। इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को शोर और कंपन की पीढ़ी को नियंत्रित करने के लिए नियमित रख रखाव किया जाएगा। शोर वातावरण में काम कर रहे कर्मचारियों को शोर से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए कारन मफ (car muffs) ईयर प्लग पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा जिससे शोर का प्रभाव कम पड़े। भारी मशीनरी को संचालित करते समय अनिवार्य रूप से विस्को इलास्टिक सामग्री से बने कम्पन विरोधी दस्ताने पहनने हैं।

9.3 जल गुणवत्ता

निर्माण और घरेलू चरण के लिए पानी DIC से लिया जाएगा। आपरेशन चरण के दौरान परियोजना के लिए कुल पानी की जरूरत 35 KLD होने का अनुमान है जिसमें से वाष्पीकरण की भरपाई के लिए 42 KLD आवश्यकता होगी, इसके अतिरिक्त 180 श्रमिकों के लिए लगभग 8 KLD पानी की आवश्यकता होगी। पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग प्रस्तावित परियोजना गतिविधि में ठंडा करने के उद्देश्य से किया जाएगा। शीतलन से उत्पन्न पानी का उपयोग सयंत्र परिसर के भीतर किया जाएगा। उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जल को एसटीपी में भेजा जाएगा।

S.No	Particulars	Existing	Proposed	Total
1.	Domestic	3 KLD	5 KLD	8 KLD
2.	Industrial	6 KLD	20 KLD	26 KLD
Total				34 KLD

सेनिटरी अपशिष्ट जल का उपचार एसटीपी में किया जाएगा व उपचार के बाद यह जल ग्रीन बेल्ट विकास के लिए उपयोग किया जायेगा।

9.4 ठोस कचरा

MSW 2016 नियम और उसमें हुए संशोधन के अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। परियोजना में ठोस कचरे का सुजन न्यूनतम होगा और रिसाइकलर को बेचा जाएगा।

10.0 भूमि की गुणवत्ता

भूमि एक मौजूदा समय रोलिंग मिल्स इकाई है जो की प्लाट नंबर 8, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2, काला अब तहसील नाहन सिरमौर (हि.प्र.) में स्थित है।

11.0 ग्रीन बेल्ट विकास

प्रस्तावित सुविधा के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाएगा, जिससे की धूल, हवा, शोर और फुजिटिय उत्सर्जन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक कम करेगा। हरित क्षेत्र धूल के लिए रोकथाम के रूप में कार्य करता है यह क्षेत्र के सौंदर्य गूल्य में सुधार के साथ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी के प्राकृतिक

आवास बनेगा और निर्माण संचालन चरणों के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर को रोकने के लिए भी मदद मिलेगी। ग्रीन बेल्ट विकसित करते समय निम्नलिखित विचारों का ध्यान रखा

- आमतौर पर स्थानीय नेटिव तेजी से बढ़ते पेड़ों को लगाया जाना चाहिए
- पेड़ों का रोपण परियोजना स्थल के आसपास उचित घेरेने पंक्तियों में किया जाना चाहिए
- पेड़ों को गैर पालनीय झाड़ी जातियों के रोपण द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि यह जानवरों से बच सके
- 3.18 हेक्टेयर में से संयंत्र क्षेत्र के बारे में एक हेक्टेयर (लगभग 33%) ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा

12. पर्यावरण प्रबंधन योजना (MP)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in lacs)	Recurring Cost per annum (in lac)
1	Air Pollution Control Devices (Bag Filters online continuous emission monitoring System etc.)	120	30
2	Water Pollution Control Measures	35	10
3	Noise Pollution Control Measures	20	05
4	Environment Monitoring and Management	-	10
5	Occupational Health	-	1.5
6	Green Belt Development	15	3.5
7	Rain Water Harvesting	10	02
Total		200	62

13.0 कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (CER)

MoEF&CC द्वारा बजट 22-65/2017-1A, III समाज कल्याण के लिए दिनांक 01.05.2018 जारी स्मृतिपत्र के अनुसार पूंजीगत के लिए 30.00 लाख यानी कुल परियोजना लागत का 1% रु 300000 रुपये कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (CER) के लिए रखे गए हैं। निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

- नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जहां निःशुल्क जाँच की जाएगी
- मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा
- मजदूरों के लिए बीमा प्रदान करना
- पास के क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा

14.0 परियोजना के लाभ

रोजगार के अवसर

परियोजना द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जरूरत अनुसार कुशल और अकुशल मानव शक्ति के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिससे स्थानीय बाजार में आवश्यक दैनिक उपयोगिताओं के लिए मांग में भी वृद्धि होगी।

सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रस्तावित विस्तार संयंत्र के कार्यान्वयन के साथ बढ़ती औद्योगिक गतिविधि इलाके के व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देगा कुछ हद तक स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आवश्यक कुशल और अकुशल मजदूरों को स्थानीय क्षेत्र से अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रस्तावित परियोजना गतिविधियों द्वारा स्वच्छता संचार और सामुदायिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का उत्पन्न नहीं होगा तथा पर्याप्त उपाय व पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित परियोजना के कारण आसपास के वातावरण को प्रदूषण से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा क्योंकि कचरे को ठीक से नियंत्रित किया जाएगा और परिवहन गाड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्र में भूमि

की दूरी प्रस्तावित गतिविधि के कारण आसपास के इलाकों में सुधार होगा। इस क्षेत्र में लोगों की सामाजिक स्थिति के उत्थान में मदद मिलेगी।

अन्त में कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिप्पणी
1	श्री सुखवीर सिंह, निवासी ग्राम जोहड़ों, कालाअम्ब।	इन्होंने कहा कि- इन्होंने कहा कि इस उद्योग के एक किलोमीटर परिधि में पहले से ही लगभग 10 हीट फर्नेस चल रही हैं जिस से यह क्षेत्र काफी गरम रहता है। अतः इस विस्तार परियोजना का हम विरोध करते हैं। इन्होंने कहा कि कालाअम्ब क्षेत्र पहले से ही रेड जोन में है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि री-हीटिंग फर्नेस जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण था उसको हटा दिया गया है तथा इंडवशन फर्नेस में उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाया जायेगा।
2	श्रीमती पुष्पा देवी, सदस्य जिला परिषद सिरमौर।	इन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पहले से ही बहुत प्रदूषित है तथा इस एक्सपेंशन से और अधिक प्रदूषण फैलेगा अतः हम समस्त ग्रामवासी इस प्रस्तावित परियोजना का विरोध करते हैं।	
3	श्री सुभाष चौधरी, ग्राम पंचायत कालाअम्ब।	इन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो एयर मॉनिटरिंग डाटा रिजल्ट दिए गए हैं वह सही नहीं हैं। परियोजना प्रस्तावक बताये कि किसके घर में मॉनिटरिंग के लिए मशीन लगी थी और पानी के सैंपल किस स्थान से लिए गए थे। इस एक्सपेंशन से और अधिक प्रदूषण फैलेगा अतः हमें इस विस्तार परियोजना से आपत्ति है व हम इसका विरोध करते हैं।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि मॉनिटरिंग की लोकेशन फोटोग्राफ संलग्न -2 हैं। इन्होंने कहा कि री-हीटिंग फर्नेस जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण था उसको हटा दिया गया है तथा इंडवशन फर्नेस में उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाया जायेगा।
4	श्री दिनेश ठाकुर, उपप्रधान ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर कालाअम्ब।	इन्होंने कहा कि, सभी लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस एक्सपेंशन से और अधिक प्रदूषण	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि री-हीटिंग फर्नेस जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण था उसको हटा दिया गया है तथा

		फैलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ की सभी इस्पात उद्योग बिना चिमनी के ही कम ऊँचाई पर धुआं छोड़ते हैं। कोई भी चिमनी से धुआँ नहीं छोड़ता अतः हम विस्तार परियोजना का विरोध करते हैं।	इंडवशन फर्नेस में उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाया जायेगा। इकाई द्वारा उचित उचाई की चिमनी स्थापित की गयी है जिसे उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ चलाया जायेगा।
5	श्री सोमनाथ, निवासी ग्राम जोहड़ों, कालाअम्बा	इन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण व उपचारों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाता। परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई एयर मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा की गई मॉनिटरिंग से मेल नहीं करते। परियोजना प्रस्तावक बताये कि किस जनप्रतिनिधि को साथ ले कर, किसके घर में मॉनिटरिंग के लिए मशीन लगी थी और पानी के सैंपल किस स्थान से लिए गए थे। इन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण यहाँ के लोगों को श्वास सम्बन्धी बिमारियाँ हो रही हैं अतः हम विस्तार परियोजना का विरोध करते हैं।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि पूर्व में जयभारत इस्पात इकाई, जोकि इस इकाई के 500 मीटर के दायरे में है, के लिए हमने मॉनिटरिंग की है। क्योंकि मॉनिटरिंग रिजल्ट्स भारत सरकार की अधिसूचना के तहत 3 साल तक वैध होते हैं तो वही रिजल्ट हम इस इकाई कि स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः मॉनिटरिंग की लोकेज़न फोटोग्राफ संलग्न हैं। इन्होंने कहा कि सी-हीटिंग फर्नेस जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण था उसको हटा दिया गया है तथा इंडवशन फर्नेस में उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाया जायेगा।
6	श्री करनैल सिंह निवासी ग्राम जोहड़ों, कालाअम्बा।	इन्होंने कहा कि मेरा आम का बगीचा प्रदूषण के कारण पूरी तरह खराब हो गया है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि सी-हीटिंग फर्नेस जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण था उसको हटा दिया गया है तथा इंडवशन फर्नेस में उचित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाया जायेगा।
7	श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी ग्राम जोहड़ों, कालाअम्बा।	इन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण गांव के लोगों को आँसू की, साँस की व चर्म रोग आदि बिमारी आम बात हो गई है। हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना का विरोध करते हैं।	
8	श्री रामशरण, निवासी ग्राम डेरीवाला, कालाअम्बा	इन्होंने कहा कि प्रदूषण के कारण हमारी खेतों में फसल व सब्जिया आदि खराब हो जाती हैं। अतः हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना का विरोध करते हैं।	
9	श्री नन्द-लाल, निवासी ग्राम मेंथापल, कालाअम्बा	इन्होंने कहा कि प्रदूषण स्थानीय ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है जिसकारण हम लोग बहुत सारी	

	बिमारियों से पीड़ित हैं। अतः हम समस्त ग्रामवासी इस परियोजना का विरोध करते हैं।	
--	--	--

.....
तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगों से निःसंकोच परियोजना के सन्दर्भ में अपने विचार / सुझाव / आपत्तियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। उपस्थित जनसमूह के प्रतिनिधि द्वारा लिखित में शिकायत पत्र अध्यक्ष महोदय को मोक़े पर दिया गया जो कि संलग्न है (संलग्न-3)। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब, सिरमौर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावों, विचारों और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा अंत में जनसुनवाई के समापन पर उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।


अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर
नाहन, जिला सिरमौर (हि. प्र.)